

पत्रांक 1144 / 36 सी
सेवा में,

दिनांक रानीखेत 05/06, 2024.

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में घुघति कैलानी मसमौली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.044 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- भारत सरकार का पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/60/2017/एफ.सी./1184 दि. 06.10.17।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद अल्मोड़ा घुघति कैलानी मसमौली मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति कुछ शर्तों के साथ प्रदान की गयी थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का निम्नानुसार अनुपालन कर लिया गया है :-

| क्र.सं. | शर्त | अनुपालन आख्या |
|---------|---|---|
| 1 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.088 है० ग्राम उगलियासीम सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथोसंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। | प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.088 है० ग्राम उगलिया सीम की सिविल भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 2713/12-1(2) दिनांक 29.12.2017 द्वारा वांछित धनराशि रु 528958.00 का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है तथा उक्त सिविल भूमि का वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के आदेश संख्या 400/ग्यारह-04/2018-19 दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 द्वारा किया जा चुका है। (संलग्न 1 व 2) |
| 2 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। | भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 2713/12-1(2) दिनांक 29.12.2017 द्वारा एन.पी.वी. हेतु वांछित धनराशि 685908.00 का भुगतान किया जा चुका है। (संलग्नक-3) |
| 3 | शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशयक प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए। | शर्त संख्या- 3 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-4) |
| 4 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या-5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है तो उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए। | शर्त संख्या- 4 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियों हेतु वांछित धनराशि 1214866.00 का भुगतान वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के खाते में Online Portal के माध्यम से चालान जनरेट किया जा चुका है। (संलग्नक-5) |

| | | |
|----|---|---|
| 5 | सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनो किनारो तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अतिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित की जानी है। | शर्त संख्या-5 के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ जहाँ संभव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation किया जायेगा, से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-6) |
| 6. | State Govt. will submit revised hard copy of the NPV calculation sheet and also upload the same online recheck as different density is mentioned in NPV calculation given in hard copy as compared to NPB calculation sheet online. | एन.पी.वी. प्रमाण पत्र (Calculation Sheet) संलग्न है। (संलग्नक-7) |
| 7. | State Govt. will submit original hard copies of the geo referenced digital maps of the forest land proposal diversion and the land proposed for CA duly authenticated by DFO and upload the same in online Part I & Part II at designated places. | शर्त संख्या-6 के अनुपालन में CA के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के Revised Geo Referenced map जिसमें Polygon के प्रत्येक Corner Point के Geo Coordinates दिखाये गये है को Online Part-I में Upload कर दिया गया है। |
| 8. | State Govt. will provide hard copy of the FRA certificate hard copy of CA scheme uploaded online. | FRA Original Certificate संलग्न है। (संलग्नक-8) |

पत्रांक

/ तददिनांकित

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(तृतीय), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

अधिशाली अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

AET/AE IIIrd upload it in MIS

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

Ph. No. 05906-220679, Fax No. 05906-220679

ईमेल - ce@noida.nic.in

दिनांक श्रीशरीरत गवराशी 13, 2019

पत्रांक 160 / 3684

आपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्डिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जंगल अल्मोड़ा में घुपति केलानी प्रसंगीली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.044 हे० वन भूमि का नर सांशिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
राज्य :- भारत सरकार की पत्रांक 081 / यू.पी.पी. / 06 / 60 / 2017 / एफ.सी. / 1184 दि. 06.10.17।

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के सन्वर्धित पत्र द्वारा जनपद अल्मोड़ा घुपति केलानी प्रसंगीली मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण की सैद्धांतिक स्वीकृति कुछ शर्तों के साथ प्रदान की गयी थी। सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का निम्नानुसार अनुपालन कर लिया गया है :-

1. प्रत्यावर्तित भूमि के कदले 2.088 हे० ग्राम उगलिया सीम की सिविल भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 2713/12-1(2) दिनांक 29.12.2017 द्वारा वांछित धनराशि ₹ 520958.00 का भुगतान वन विभाग के पत्र में किया जा चुका है तथा उक्त सिविल भूमि का वन विभाग के नाम हस्तांतरण एवं नामांतरण जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के आदेश संख्या 400 / यारह-04 / 2018-19 दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 द्वारा किया जा चुका है। (संलग्न 1 व 2)
2. भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3 / 2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 2713 / 12-1(2) दिनांक 29.12.2017 द्वारा एन.पी. वी. हेतु वांछित धनराशि ₹ 685908.00 का भुगतान किया जा चुका है। (संलग्नक-3)
3. शर्त संख्या- 3 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य दर में अगर बढोत्तरी होती है तो वही हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-4)
4. शर्त संख्या- 4 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियों हेतु वांछित धनराशि ₹ 1214866.00 का भुगतान वृक्षारोपण निधि प्रकथन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के खाते में Online Portal के माध्यम से चलान जनरेट कर किया जा चुका है। (संलग्नक-5)
5. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में सड़क निर्माण के पर्याप्त जहाँ जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रोक्ता एजेंसी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation किया जायेगा, से सम्बन्धित क्वनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-6)
6. एन.पी.वी. प्रमाण पत्र (calculation Sheet) संलग्न है। (संलग्नक-7)
7. शर्त संख्या-6 क अनुपालन में CA के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के Revised Geo Referenced map जिसमें Polygon के प्रत्येक Corner Point के Geo Coordinates दिखाये गये है को Online File में Upload कर दिया गया है।
8. FIRA Original Certificate संलग्न है। (संलग्नक-8)

करने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार (3 प्रतियों में)

पत्रांक / तददिनांकित।
प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को सादर सूचनाथ प्रेषित।
उपरोक्तानुसार (3 प्रतियों में)

संलग्न :-


छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

आदेश

...

जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड स्याल्दे के अन्तर्गत पुष्पाती कोलाणी-गरामोली मो-र मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.044 हैक्टयर वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्क-वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की कुल-2.088 हैक्टयर सिविल भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, संजय अग्रवाल 2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुपालन में उपरोक्त मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्क-वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि उपलब्ध करायें जाने के संबंध में उपजिलाधिकारी भिकियासैण/स्याल्दे के पत्रांक 01/विधि/2018-19 दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय स्तर, लो0नि0वि0, रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा के पत्रांक 2679/36 सी. दिनांक: 08.10.2018 के द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव के साथ निम्नवत: अभिलेखों सहित क्षतिपूर्क-वृक्षारोपण हेतु दिनांक 10.08.2018 को चयनित की गई भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, चयनित गैर गई भूमि की व्यतीर्ण व खसरा एवं चयनित भूमि का मौका नक्शा एवं निर्धारित प्रारूप-2, तथा उप जिलाधिकारी भिकियासैण/स्याल्दे की संस्तुति सहित आख्या सहित अपर प्रमुख वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय न्यू फॉरेस्ट, देहरादून के पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/60/2017 एफ0सी0/1184, दिनांक: 06.10.2017 के द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के द्वारा निर्गत आदेश के आधार पर क्षतिपूर्क-वृक्षारोपण हेतु गण उगलियासीम राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र-देघाट तहसील-स्याल्दे, के गैरज0 नि0 ख0 ग110 संख्या-15 की श्रेणी-9(3) ड "बंजर काबलि आवाद" भूमि के पैगयसी खेत नम्बर-491 ख0 ग110 088, हैक्टयर, की कुल 2.088 हैक्टयर सिविल भूमि को उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है। उक्तानुसार ही क्षतिपूर्क-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग को प्रशासनिक नियन्त्रण में नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार स्याल्दे उक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध करायें जाना सुनिश्चित करें।

...

...

...

...

(नितिन सिंह भदौरिया)

जिला अधिकारी,

अल्मोड़ा

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

संख्या- 400 / ग्यारह- 04 / 2018--19, दिनांक: 21 अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपि: निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम-वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- 3- उप जिलाधिकारी, भिकियासैण/स्याल्दे जनपद अल्मोड़ा।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत जनपद अल्मोड़ा।
- 5- तहसीलदार, स्याल्दे को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।


...


(नितिन सिंह भदौरिया)


जिला अधिकारी,

संलग्नक - ०१
कब्जा प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि घुग्ती कैलानी मसमौली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.044 हेक्टेयर वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगने क्षेत्रफल में ग्राम उगलियसीम, तहसील स्याल्दे की 2.088 हेक्टेयर सिविल भूमि का दिनांक 16.08.2018 को संयुक्त निरीक्षण कर कब्जा प्राप्त कर लिया गया है।


वन दरोगा
लागादेई (कानोडी)


वन क्षेत्राधिकारी
जांरसी


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।


लागादेई


छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
रानीखेत

संशान्त - 02

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दस्तावेज : 05962-230065, शेष: 05962-232182 श-061 almohad@forestdepartment.com

पत्रांक : 27/3

(12-1(2) अल्मोड़ा

रोब में

दिनांक 23-12-2017

अधिशाली अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोन्गिनिविडो रानीखेत

53.

3/2017.

विषय - जनपद अल्मोड़ा में घुसुति-कैलानी-गसगोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.044 है० वन भूमि का लोन्गिनिविडो को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ - आपकी पत्र सं० 3096/36सी०/दिनांक 22.12.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में उक्त मोटर मार्ग के सापेक्ष जमा की जाने वाली धनराशि पुनः संशोधित कर भेजी जा रही है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

| क्र०सं० | मद | इकाई | दर | जमा की जाने वाली धनराशि |
|---------|--|-------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | एन०पी०वी० | 1.044 | 6,57,000.00 प्रति है० | 6,85,908.00 |
| 2 | क्षतिपूरक वृक्षारोपण | 2.088 | 2,53,332.00 प्रति है० | 5,28,958.00 |
| 3 | परियोजना के आस पास खाली पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण योजना | - | - | - |
| 4 | प्रभावित दस गुना वृक्षों की वृक्षारोपण योजना | - | - | - |
| 5 | 100 वृक्षों की वृक्षारोपण योजना | - | - | - |

अतः उक्त डिमाण्ड नोट आनलाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत करने का कट करें।

दिनांक 23/12/2017/03/01/018.

अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

भवतीय,

प्रभागीय वनाधिकारी

अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

3.11.18

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता

पि०ख०, लोन्गिनिविडो

रानीखेत

संलग्नक - 03


प्रमाण पत्र


परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में घुघति केलानी गसमौली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.044 हेक्टर जग भूमि का गैर वाणिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि सक्षम स्तर से यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(स.वि.)
कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत



अधिशारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


धायप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
रानीखेत

संलग्नक - 04

| Sl. No. | Account Name | Account No. | Account Type | Account Category | Account Sub-Category | Account Description | Account Balance | Account Debit | Account Credit | Account Total | Account Date | Account Remarks |
|---------|--|-------------|--------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---|
| 10 | PPUR/ROAD/18/38/2016 - Investment bank - PPUR/ROAD/18/38/2016 - Const. of Chughra Khatia to Narmoh motor road | 1117100 | SAFETY | ADD PA | ADD PA | 1117100 | 0 | 0 | 1117100 | 0 | 28 Feb 2018 | Generated Chuban (/UserAccount/Mark_ChubanCorp > |
| 11 | PPUR/ROAD/10541/2015 - Investment bank - PPUR/ROAD/10541/2015 - Const. of Neepna Kola Bankuna Gohali motor road | 219595 | SAFETY | ADD PA | ADD PA | 219595 | 0 | 0 | 219595 | 0 | 28 Aug 2017 | Generated Chuban (/UserAccount/Mark_ChubanCorp > |
| 12 | PPUR/ROAD/10859/2015 - Investment bank - PPUR/ROAD/10859/2015 - Const. of Taran Dalhara Shekhal motor road | 312585 | SAFETY | ADD PA | ADD PA | 312585 | 0 | 0 | 312585 | 0 | 30 Aug 2017 | Generated Chuban (/UserAccount/Mark_ChubanCorp > |
| 13 | PPUR/ROAD/11258/2015 - Investment bank - PPUR/ROAD/11258/2015 - Const. of Taran Dalhara Shekhal motor road | 312585 | SAFETY | ADD PA | ADD PA | 312585 | 0 | 0 | 312585 | 0 | 30 Aug 2017 | Generated Chuban (/UserAccount/Mark_ChubanCorp > |



छायाप्रति सत्यापित
 सहायक अभियन्ता
 प्रा०ख०. लो०नि०पि०
 रानीखेत


परियोजना का नाम :- उद्यति - केलानी से मसगौली कोट (मार्ग 1.044)

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन मंत्रालय के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदन वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :-

- 1- ईको-वलास श्रेणी Y
- 2- हरियाली का घनत्व 3
- 3- एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 657.000/-
- 4- आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल है0 1.044
- 5- कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 685908/- (रु० छः लाख, पचासवासी हजार, नौ सौ आठ मात्र)


प्रभागीय वन अधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा


छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0
रानीखेत


अन्तर्गत उम्मालयाशाम (शाविल में 2.088 हेक्टेयर आदिपूरक वृक्षारोपण हेतु मासुरगु
केलागी से मसमोली) मोटर मार्ग लम्बाई (किमी) **52.11** - 07

| प्रथम चरण | कार्य का नाम | रकबा | रक | धनराशि |
|-----------|--|-------|-------|------------|
| | सारे सीमांचन हे० में | | | |
| 1 | क्षेत्र की सुरक्षाई (झाड़ी कटान आदि) | 2.088 | 97 | 202.536 |
| 2 | अग्रिम दिवाल बन्दी (फसिंग ट्री गार्ड) 340 ए०मी० × 0.46 × 1.00 | 2.088 | 584 | 1219.392 |
| 3 | 1 कि०मी० तक पत्थर ढुलान सहित | 1.53 | 339 | 51667 |
| 4 | मुदा एवं जल संरक्षण संग्रहण हेतु कच्चे चाल खाल निर्माण कार्य | - | - | - |
| | 4.1 अवरोधक निर्माण वनस्पतिक चौक डेग | 15 | 4000 | 60000 |
| | 4.2 वाटर हार्वेस्टिंग टैंक | 15 | 4000 | 60000 |
| | 4.3 स्टोन चौकडेम बनाना | 10 | 20000 | 200000 |
| 5 | गड़के खुदान 0.30 × 0.30 × 0.45 | 2297 | 7.33 | 16837.01 |
| 6 | कन्दूर फर्रे खुदान 0.30 × 0.30 × 0.45 | - | - | - |
| 7 | निरीक्षण बटिया बनाना | 2.088 | 485 | 1012.68 |
| 8 | अन्य कार्य | 2.088 | 500 | 1044 |
| 9 | अन्य व्यय जैसे संयंत्र औजार तैज कराना अन्य कार्यों पर व्यय | 2.088 | 500 | 1044 |
| | योग प्रथम चरण | - | - | 392226.619 |
| | द्वितीय चरण | | | |
| | गड़के भ्रान कार्य 0.30 × 0.30 × 0.45 | 2297 | 1.5 | 3445.5 |
| 1 | पौधों की कीमत | 2297 | 8 | 18376 |
| | पौधों का ढुलान 100 × 8km × 169 प्रति हजार | 2297 | 6.39 | 14677.83 |
| 2 | पौधा रोपण एवं थावला बनाना | 2297 | 2.06 | 4731.82 |
| 3 | कन्दूर फर्रे में बीज बुआई | - | - | - |
| | निराई गुडाई मचिंग (दो बार) 2 × 100 × 0.76 | 2297 | 0.76 | 1745.72 |
| 4 | खाद एवं दवा पर व्यय | 2.088 | 420 | 876.96 |
| 5 | प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव पर व्यय 8 माह | 2.088 | 4768 | 9955.584 |
| 6 | 8.1 वृक्षारोपण अन्तर्गत घास फूस ज्वलनशील पदार्थ हटाना | 2.088 | 350 | 730.8 |
| 7 | 8.2 सुरक्षा दीवाल व घेरबाड़ के बाहर 10 मी० पट्टी साफ करना | 2.088 | 225 | 469.8 |
| 8 | साईन बोर्ड पौध ढुलान आदि कय फोटोग्राफी प्रचार प्रसार | 2.088 | 400 | 835.2 |
| 9 | योग द्वितीय चरण | - | - | 55845.214 |
| | तृतीय चरण | | | |
| | वृक्षारोपण से लाभान्वित हाने वाले गमगीनों को अग्रिम सुरक्षा हेतु | 2.088 | 400 | 835.2 |
| 1 | प्रोत्साहन | | | |
| | रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में रख रखाव व अनुसंधान कार्य | 2.088 | 7152 | 14933.376 |
| 2 | 12 माह तक | | | |
| | वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत | | | |
| 3 | 2.1 सूखे घास फूस व ज्वलनशील पदार्थ को काटना/हटाना | 2.088 | 350 | 730.8 |
| | 2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना | 2.088 | 225 | 469.8 |
| | 2.3 अग्नि सुरक्षा के लिये प्रशिक्षण/प्रोत्साहन | 2.088 | 310 | 647.28 |
| | भूमि एवं जल संरक्षण कार्य | - | - | - |
| 4 | बिटिंग अप कार्य | - | - | - |
| 5 | अन्य कार्य | 2.088 | 200 | 417.6 |
| 6 | योग तृतीय चरण | - | - | 18034.056 |

चरण

| | | | | |
|----|--|--------|------|-----------|
| 1 | चरण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख रखाव व अनुरक्षण कार्य | 2.088 | 7152 | 14933.376 |
| 2 | 12 माह तक अन्य कार्य भूमि एवं जल संरक्षण कार्य | | | |
| 3 | अग्नि सुरक्षा कार्य अनुरक्षण दीवाल मरम्मत आदि | - | - | - |
| 4 | अग्नि सुरक्षा कार्य क्षतिपूरक रोपण 500 पौध प्रति है 0 | - | - | - |
| 5 | अन्य कार्य | | | |
| 6 | योग चतुर्थ चरण | 2.088 | 200 | 417.6 |
| 7 | पंचम से दशम चरण-6 वर्षों हेतु व्यय का विवरण | | | |
| 8 | रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रख रखाव व अनुरक्षण कार्य | 12.528 | 7152 | 89600.256 |
| 9 | 6 वर्ष तक 2.97×6 | | | |
| 10 | वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत | | | |
| 11 | 2.1 सूखे घास फूस व ज्वलनशील पदार्थ को काटना/हटाना | 12.528 | 350 | 4384.8 |
| 12 | 2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना | 12.528 | 250 | 3132 |
| 13 | अन्य कार्य | 12.528 | 200 | 2505.6 |
| 14 | योग पंचम से दशम वर्ष | - | - | 99622.656 |
| 15 | कुल योग | | | 582079.52 |

24/1
उप-उप-एसीकेन


जी.सी.पी.ए.ए.सी.के.ए.
असिस्टेंट वॉ. मन्त्रालय, अन्तर्गत


छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0सि0
रानीखेत

प्रभागीय (उप-मन्त्रालय),
असिस्टेंट वॉ. मन्त्रालय, अन्तर्गत

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :-
भार खान

नामपत्र एम्प्लॉय के सुधानी लेबलरी-प्रमो

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम = पुष्पपुरी
तहसील हारातली, जिला करनोल

उत्तराखण्ड में जनपद आर्यभट्ट अनापत्ति प्रमाण पत्र

के निर्माण हेतु (2) हे0 आरक्षित वन भूमि 2 हे0 सिविल सोयम भूमि 2.27 हे0
वन संचायत भूमि 2.37 हे0) अर्थात कुल 6.64 हे0 वन भूमि का
आरक्षित विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आदेवन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पुष्पपुरी द्वारा दिनांक 1-3-2006 किं
सामान्य ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोजता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि व
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिका
वाधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी न
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी क
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हानन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पुष्पपुरी द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारि
श्रित्य पुष्पपुरी कि ग्राम पुष्पपुरी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि
प्रयोजता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने प
कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

[Signature]
ग्राम पुष्पपुरी
कोषाध्यक्ष/सिपाही अधिकारी
दि0 01 म्वाब्दे (अरलीडा)

[Signature]
ग्राम प्रधान

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोजता
एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

[Signature]


छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0. लो0नि0वि0
रानीखेत

दिनांक 1-3-2024 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सिद्धी

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ आमवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---------|---|---------------|
| 1 | श्री राम सिंह | श्री राम सिंह |
| 2 | श्री राम सिंह | श्री राम सिंह |
| 3 | श्री राम सिंह | श्री राम सिंह |
| 4 | श्री राम सिंह | श्री राम सिंह |
| 5 | श्री राम सिंह | श्री राम सिंह |
| 6 | श्री राम सिंह | श्री राम सिंह |
| 7 | श्री राम सिंह | श्री राम सिंह |
| 8 | श्री राम सिंह | श्री राम सिंह |
| 9 | श्री राम सिंह | श्री राम सिंह |
| 10 | श्री राम सिंह | श्री राम सिंह |
| 11 | श्री राम सिंह | श्री राम सिंह |
| 12 | श्री राम सिंह | श्री राम सिंह |
| 13 | श्री राम सिंह | श्री राम सिंह |
| 14 | श्री राम सिंह | श्री राम सिंह |
| 15 | श्री राम सिंह | श्री राम सिंह |
| 16 | श्री राम सिंह | श्री राम सिंह |
| 17 | श्री राम सिंह | श्री राम सिंह |
| 18 | श्री राम सिंह | श्री राम सिंह |


 ग्राम पंचायत प्रधानी
 श्री राम सिंह
 80/-
 ग्राम प्रधान


 छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
 प्रा0ख0, लो0नि0वि0
 रानीखेत

दिनांक 12-11-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
 ग्राम पंचायत ...
 ...

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित व्यक्ति की जानकारी के नाम | हस्ताक्षर |
|---------|--|---------------|
| 1- | श्री. वि. सि. सि. | श्री. वि. सि. |
| 2- | श्री. वि. सि. सि. | 20/11/15 |
| 3- | श्री. वि. सि. सि. | ... |
| 4- | श्री. वि. सि. सि. | ... |

...

ग्राम प्रधान / सचिव

H.S. Rawat

ग्राम पंचायत गुणगढ़ी, बस पंचायत ग्राम पंचायत - सुरभी,
 पी. 0 देवास रोड, सिविल स्टेशन, सिविल स्टेशन - अल्मोड़ा

...

सहायक अनियन्ता
 प्रा०ख०, लो०नि०वि०
 राजीव खेत

दुर्गा

(सं. १५४)

पान-२३

परिचयना का नाम :-

रमणंद - सत्यप्रति दुर्गा केसरी - पसेफकी बोर्ड प्राग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सुरमोरी
तहसील अमरावती जिला अमरावती
समाप्ति प्रमाण पत्र

उपरोक्त में उनाप अमरावती के सत्ताधिकार आयोजक परिवोजना के निर्माण हेतु।
हेतु आर्क्षित वन भूमि ०.३०७७ हेतु निहित सोवम भूमि ०.३३५७ (३०) अर्थात् कुल १.०४४३
हेतु वन भूमि का ०.३०७७ विभाग / संस्था के पत्र ने भारत सरकार पत्राचार एवं वन संरक्षण द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आर्क्षित
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकारण के विषय में ग्राम गवास्ता सुरमोरी द्वारा निर्माण १-३-११ को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत को बंलक
ने प्रत्येक एंथनी द्वारा अर्क्षित वन भूमि के सीमा में अनपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत अर्क्षित वन भूमि में अर्क्षित अथवा लिखित गैर आर्क्षित की जा सकना / कृषि इलाके में आकर नहीं।
संबन्धित सभी प्रस्तावों द्वारा इष्टतम किया गया कि वन भूमि में किसी भी आर्क्षित अथवा गैर आर्क्षित की जा सकना / कृषि इलाके नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परिवोजना के निर्माण हेतु अर्क्षित वन भूमि पर ग्रामपंचायत अधिकारों का हस्त नहीं हो रहा है।

इसके तहत ग्राम सभा द्वारा संयोजित में निर्णय किया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सुरमोरी के
ग्रामपंचायत को उक्त वन भूमि ०.३०७७ प्रत्येक एंथनी को परिधिमात्र के निर्माण हेतु दिने जाने पर कोई अर्क्षित नहीं है।

कार्यवाही सुरमोरी ग्राम प्रधान / सचिव
वन पंचायत सुरमोरी नगर सचिव
पिन ४३०३०० (विभाग)

सुरमोरी
ग्राम पंचायत सुरमोरी
ग्राम पंचायत सुरमोरी
पिन ४३०३०० (विभाग)

सुरमोरी
ग्राम प्रधान / सचिव
नगर सचिव
H.S. Jaiswal
ग्राम पंचायत - सुरमोरी
वि.सं. ४३०३००

आयोजक
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
रानीखेत

उत्तरदाता का नाम -

आनंद आर्योपाध्याय धुली किला-1-मसौली-मोहर मंडि

इन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनामति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम धुली किला
तहसील मोहर मंडि जिला अजमेर

उत्तरदाता का नाम आर्योपाध्याय के अनामति उपरोक्त परिसर/का के निर्माण हेतु

होना आरंभित का मूला 10 मी. निर्मित सोडा मूल 2.20 से 20 मी. तक मूल 8.37 से 10 मी. तक मूल 1.22 से 4 मी. तक मूल का मोहर मंडि जिला / सस्था के यह नें भारत सरकार परिसर एवं पर स्वात्म इसी प्रकारित करने हेतु आगे का प्रयत्न किया गया।

एता कारण के विषय में ग्राम पंचायत नस ठेकरी द्वारा विनांक 1-3-07 को सम्मिल ग्राम सेवा / ग्राम पंचायत को भेजने में प्रयत्न किया गया मूल के संग्रह में अनामति कारण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत सेवा को भेजे। यह कि इन अखिल अधिकारिक प्रमाण के प्रावधानों को चालू आगे कि यह मूलिकी अनामति अथवा किस्की कर अनामति / कृषि कर नें अनामति नहीं।
साथिच सभी ग्रामपंचायतों द्वारा सचट किया गया कि एता इन मूल में किस्की की वारिपत्ती अथवा नर अधिकारी का शब्द / नर शर्त को किया जा रहा है। इतके अतिरिक्त परिसर/का के निर्माण हेतु आवंति का नरि नर अनामति के परिसरगत अधिकारी का इला सूची से रहा है।
धुली के उपरत ग्राम सेवा द्वारा सम्बन्धित से नियंत्रण तथा / इलाक परित किया गया कि ग्राम नस ठेकरी के अनामति को रकत इन मूल नस ठेकरी प्रयोजन के निर्माण हेतु दिव जान पर कोई अनामति नहीं है।

Rameshwar
ग्राम पंचायत आगत अधिकारी
धुली किला-मोहर मंडि-अजमेर

depos
सम्पत्ति
एता पंचायत पंचकोषानी,
पो. भी. - मोहर मंडि,
धुली-अजमेर (राजस्थान)

अनामति
ग्राम पंचायत पंचकोषानी
दि. 0 ख. 0 स्यादे (अनामति)

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रा. 0 ख. 0, लो. 0 नि. 0 वि. 0
रानीखेत

दिनांक 1-3-2015 को ग्राम नाम की सूचना प्रोडर को उपस्थिति
 प्राप्त - कोटा नौ ग्राम पंचायत ... चक्र केवानी

| क्रमिक | ग्राम सूचा में उपस्थित वारेड की ग्रामवाशिया के नाम | इच्छाधर |
|--------|--|--------------|
| | नवीन चन्द / मोहन चन्द | Abhishek |
| | दिनेश चन्द / बन्धी राम | Dhans |
| | कोटवाल दत्त / तुलसी राम | कोशन दत्त |
| | दिनेश चन्द / टीका राम | Dinesh |
| | केलाश चन्द / नन्दकिशोर | ds/ps |
| | श्रीपाल दत्त / बन्धी राम | श्रीपाल दत्त |
| | रामखिंह / हजारी सिंह | Ramkumar |

ds/ps

ग्राम प्रधान / वरिष्ठ
 ग्राम प्रधान
 ग्राम पंचायत चक्रकेवानी
 पी० ख० स्याले (अलीखान)

सहायक,
 ग्राम पंचायत चक्रकेवानी,
 पी० ख० ५१० - अलीखान,
 जिला अहमदाबाद (गुजरात)


 छायाप्रति सत्यापित

सहायक अतिथिन्ता
 प्रा०ख०, लो०नि०वि०
 रानीखेत

परियोजना का नाम -

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत जनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत जनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बिब्यादेण

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत जनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, खुवाले

उपखण्ड खुवाले के अन्तर्गत (खुवाले) केरानी प्रखण्ड में उपखण्ड स्तरीय समिति वन भूमि एवं सोपम वन भूमि का जनजाति और अन्य परम्परागत जनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील खुवाले) की विनांक 1-3-2015 को प्रमाण पत्र की कार्यवाही का विवरण-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील खुवाले) उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री सुनील कुमार शर्मा, उपजिलाधिकारी, बिब्यादेण
- 2- श्री सुनील कुमार शर्मा, उप प्रभागीय वनधिकारी, बिब्यादेण
- 3- श्री सुनील कुमार शर्मा, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, बिब्यादेण
- 4- श्री सुनील कुमार शर्मा, बीपीडीपीओ गोत्र, बिब्यादेण

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अफगत कराया गया कि

श्री सुनील कुमार शर्मा, उपखण्ड स्तरीय समिति, खुवाले
श्री सुनील कुमार शर्मा, उप प्रभागीय वनधिकारी, बिब्यादेण
श्री सुनील कुमार शर्मा, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, बिब्यादेण
श्री सुनील कुमार शर्मा, बीपीडीपीओ गोत्र, बिब्यादेण

प्रयोक्ता एवेन्सी के पत्र में इस्तान्धारित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वशक्ति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।


संबंधित उप प्रभागीय वनधिकारी, बिब्यादेण द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी वादों का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनागरित जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनागरित जारी की जा सकती है।

ध्याप्रति सत्यापित

सहायक अनियन्ता
प्रा10ख0, लो0नि0वि0
ग-नीकेने

पुस्तक में सर्वसम्मति से उपखण्ड

80 वन युक्ति प्रयोक्ता एजेन्सी को जानिहित प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।





तालिका संख्या स्याह
जिला आल्मोड़ा (सतलखण्ड)

प्रतिलिपि : जिवाधिकारी, 




सहायक
कलकत्ता

स्याह

परिक्षेत्र के अन्तर्गत परियोजना के निर्माण हेतु 10/4 में समान ग्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर


उप जिवाधिकारी/आयुक्त
उपखण्ड स्तरीय पर अधिकार समिति
तहसील - 
जनपद - 

उप जिलाधिकारी स्याह
जिला आल्मोड़ा (सतलखण्ड) को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप जिलाधिकारी/आयुक्त
उपखण्ड स्तरीय सतलखण्ड शिक्षा समिति
तहसील - 
जनपद - 

उप जिलाधिकारी स्याह
जनपद - आल्मोड़ा


छायाप्रति सत्यापित


सहायक अनियन्ता,
प्रा0ख0, लो0नि0वि0
रानीखेत

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under ERA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S. Deputy Commissioner, Almora on date..... 03-03-2015..... at time..... 3.10. P.M..... at Almora, in which application claiming rights of area measuring 1:0:44. hecl. for the Construction of Chaya Prati Sanyaapiti of Forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objections/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :


03/03/15
Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी

अल्मोड़ा


छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
रानीखेत

It is further certified that

| S.N. | Remarks |
|------|--|
| (a) | The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire ¹²⁴⁴ het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure. |
| (b) | The diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it. |
| (c) | The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and prongricultural communities. |

Encl:As above

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
रानीखेत

(Full name of the official seal of the District Collector)

03.03.15
Signature

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Almora

Date:.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that.....
Development PIA Deptl. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Shigraoti-Kaithan-Karwar-Katari Road.....

(Purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Almora village(s) in Syulga Taluqa.


It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire Shigraoti block of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above


District Collector


S.D.M.
UP


03.03.15
जिला दफ्तारी
अमोरा

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

छायाप्रति सत्यापित


सहायक अभियन्ता

प्रो०ख०. लो०नि०वि०

रानीखेत

का नाम- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अंतर्गत धुधुती-कैलानी-
मसामोली मोटर मार्ग का निर्माण

Survey Of India Map (Compensatory Afforestation)



0.0 0.15 0.3 0.45 Kilometers

राज्यीय वनोपकार, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

Legend :-

CA Area Uglyasim 1.088 HE

[Signature]
A.A.E

[Signature]
A.A.E

[Signature]
प्रादेशिक वन विभाग
प्रादेशिक वन विभाग
अल्मोड़ा (अल्मोड़ा)

[Signature]
अधिसारी अभियन्ता
प्रादेशिक वन विभाग, अल्मोड़ा
अल्मोड़ा

[Signature]
उप प्रशासक वन विभाग
अल्मोड़ा उप वन प्रभाग, अल्मोड़ा



[Signature]
अधिसारी अभियन्ता
प्रादेशिक वन विभाग, अल्मोड़ा

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

का नाम- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अंतर्गत घुघुती-कैलानी-
मसमोली मोटर मार्ग का निर्माण


Geo reference map (Compensatory Afforestation)



| ID | Longitude | Latitude |
|----|-------------------|-------------------|
| 1 | 29° 55' 25.366" N | 79° 12' 40.073" E |
| 2 | 29° 55' 20.265" N | 79° 12' 39.869" E |
| 3 | 29° 55' 18.594" N | 79° 12' 39.029" E |
| 4 | 29° 55' 17.380" N | 79° 12' 37.682" E |
| 5 | 29° 55' 18.435" N | 79° 12' 36.641" E |
| 6 | 29° 55' 19.328" N | 79° 12' 36.035" E |
| 7 | 29° 55' 20.638" N | 79° 12' 35.813" E |
| 8 | 29° 55' 22.041" N | 79° 12' 36.090" E |
| 9 | 29° 55' 23.422" N | 79° 12' 36.801" E |
| 10 | 29° 55' 24.443" N | 79° 12' 37.095" E |
| 11 | 29° 55' 25.157" N | 79° 12' 37.979" E |
| 12 | 29° 55' 25.215" N | 79° 12' 39.411" E |

Legend :-

- GPS
- CA Area Uglyasim 1.088 HE



प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

[Signature]
A.A.C

[Signature]
A.A.C

[Signature]
सहायक अभियन्ता
राज्यीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
रानीखेत (अल्मोड़ा)

[Signature]
अधिसारी अभियन्ता
राज्यीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)

छायाप्रति स्थापित
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो०नि०वि०
रानीखेत

[Signature]
उप प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

[Signature]
अधिसारी वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा